

**राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० २, सैकटर १७
पंचकुला**

क्रमांक:- रा०नि०आ०/१एम०ई०/२०१८/६१६२-६१६८ दिनांक:- २२.११.२०१८

सेवा में

उपायुक्त,
हिसार, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत,
करनाल, फतेहाबाद और कैथल

**विषय:- नगरनिकाय चुनाव, २०१८ - मतदान केन्द्रों की स्थापना
बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपको यह सुचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके जिले में निम्न नगरनिकाय के आम चुनाव १६.१२.२०१८ को होने निश्चित हुये हैं:-

LIST		
क्रम संख्या	जिले का नाम	चुनाव
1.	हिसार	नगरनिगम, हिसार
2.	रोहतक	नगरनिगम, रोहतक
3.	यमुनानगर	नगरनिगम, यमुनानगर
4.	पानीपत	नगरनिगम, पानीपत
5.	करनाल	नगरनिगम, करनाल
6.	फतेहाबाद	नगरपालिका, जाखल मण्डी
7.	कैथल	नगरपालिका, पुण्डरी

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, १९९४ के नियम ३५ (१) और हरियाणा नगर निर्वाचन नियम, १९७८ के नियम ३४ (१) की ओर आकर्षित किया जाता है, इस नियम में दिये गये प्रावधानों अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटर्निंग अधिकारी के प्रयोगार्थ जारी हैंड बुक में, मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आम चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाएं तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की सूची; आपके माध्यम से भेजते हुए आयोग से इस बारे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहाँ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें [कोई भी मतदान केन्द्र किसी भी अस्पताल व

जच्चा बच्चा केब्ड (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये]। यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संभव न हो, और किसी प्राईवेट भवन/धर्मशाला में मतदान केब्ड स्थापित किया जाना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में, उस प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Encl: As above

भवदीय,


(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा